




सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश,
क्षेत्रीय कार्यालय अम्बिकापुर-छ0ग0



Assistant Director of Town & Country Planning, Reg. office Ambikapur-C.G.

पता:-

पूराना रोजगार कार्यालय रिंग रोड नमनाकला
अम्बिकापुर (छ.ग.)

Email townplanambikapur@gmail.com

Telephone:-07774220156

Address:-

Old imply office ring road namanakalan
ambikapur (C.G.)

townplanambikapur@gmail.com

Telephone:-07774220156

क्रमांक 128 /पी0एल0- /नग्रानि/2020
प्रति,

अम्बिकापुर, दिनांक 16 /01/2020

✓ श्री इरशाद खान
आ0 श्री अब्दुल हकीम खान
निवासी दत्ता कालोनी अम्बिकापुर
जिला सरगुजा (छ.ग.)

विषय :- विकास अनुज्ञा बाबत।

संदर्भ :- आपका आवेदन इस कार्यालय का आवक क्रमांक 1976 दिनांक 19.12.2019।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भ में सूचित किया जाता है कि यथावर्णित ग्राम -बाबूपारा, अम्बिकापुर, शीट नं0-09, रा0नि0मं0 -अम्बिकापुर, तहसील-अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ0ग0) स्थित भूमि खसरा क्रमांक 3467/4866/214 रकबा 3302.51 व0मी0 पर अम्बिकापुर विकास योजना (2021) में निर्दिष्ट आवासीय एवं जलाशय उपयोग की भूमि पर संलग्न अभिन्यास में दर्शाये अनुसार आवासीय प्रयोजन (फ्लैट्स) को क्रियान्वित करने हेतु विकास अनुज्ञा छ0ग0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 30 की उपधारा (3) एवं छ0ग0 भूमि विकास नियम 1984 के नियम 27 के तहत निम्न शर्तों के अध्यधीन रहते हुए दी जाती है-

1. अनुज्ञा इस शर्त पर दी जाती है कि आवेदित भूमि आवेदक के पूर्ण स्वामित्व एवं आधिपत्य में है। स्वामित्व संबंधी विवाद के लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। सारभूत तथ्य के इस संबंध में कोई असत्यता पाये जाने पर यह अनुज्ञा प्रतिसंहत की जा सकेगी।
2. भूमि का व्यपर्वतन राजस्व विभाग से कराना आवश्यक है।
3. किसी भी स्थिति में विकास अनुज्ञा के विरुद्ध कोई विकास/निर्माण न किया जावे।
4. समस्त आंतरिक विकास कार्य जैसे मार्गों का विकास, खुले स्थानों को विकास, जल प्रदाय, जल मल निकास, विद्युतीकरण, नाली निर्माण इत्यादि आवेदक को करना होगा।
5. आवेदित भूमि सम्मुख मार्ग की चौड़ाई प्रस्तावित चौड़ाई 12.0 मीटर मार्ग मध्य से 06.0 मीटर छोड़कर भूखण्ड की सीमा रेखा होगी।
6. छ0ग0 नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) अधिनियम 2010 की धारा 33 में विहित प्रावधानों के अनुसार यह अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक 16.01.2020 से एक वर्ष तक प्रभावशील रहेगी। निर्धारित कालावधि में विकास निर्माण कार्य पूर्ण न होने पर इस अनुज्ञा को वर्षानुवर्ष विधिमान्य कराना होगा, जिसकी कुल अवधि प्रथम अनुज्ञा दिनांक से अधिकतम तीन वर्षों तक हो सकेगी।
7. भवन निर्माण की अनुमति स्थानीय निकाय नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर से प्राप्त करना आवश्यक है।
8. छ0ग0 भूमि विकास नियम -1984 के नियम 78 (4) के प्रावधानों के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करना होगा।
9. छ0ग0 नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) अधिनियम 2010 की धारा 33 में विहित प्रावधानों के अनुसार यह अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक से एक वर्ष तक प्रभावशील रहेगी। निर्धारित कालावधि में विकास निर्माण कार्य पूर्ण न होने पर इस अनुज्ञा को वर्षानुवर्ष विधिमान्य कराना होगा, जिसकी कुल अवधि प्रथम अनुज्ञा दिनांक से अधिकतम तीन वर्षों तक हो सकेगी।
10. छ0ग0 भूमि विकास नियम-1984 के नियम 64 के अनुसार प्रति 100 वर्गमीटर में एक वृक्ष की दर से वृक्षारोपण कराना होगा।

कार्यालय नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा(छ.ग.)

प्रारूप-नौ

(नियम 11 देखिए)


कॉलोनी विकास की अनुमति


दिनांक 05/02/2020

अनुमति क्रमांक 33.....

छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम, अधिनियम 1956/छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन तथा शर्तें) नियम 2013 के अधीन निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन रहते हुये मो. इरशाद खान आ. अब्दुल हकीम खान, दत्ता कॉलोनी, अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ.ग. के खसरा नं. 3467/4866/214 रकबा 3302.51 वर्गमीटर पर नगर अम्बिकापुर सत्तीपारा, शीट नं.-09, रा.नि.सं. अम्बिकापुर, तहसील-अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.) स्थित आवासीय प्रयोजन (प्लेट्स) विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

1. शहरी भूमि सीमा अधिनियम, 1976 के प्रावधानों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लेखित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
2. छ.ग.नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अंतर्गत प्राप्त विकास अनुज्ञा की शर्तों का पालन करना होगा।
3. इस अनुमति के संबंध में किसी नियम/प्रावधानों का उल्लंघन होता है, तो यह अनुमति शून्य मानी जावेगी।
4. छ.ग. शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 7-8/2011/18 दिनांक 11.12.2015 अनुसार निम्न आय वर्ग का आरक्षण एवं आबंटन किया जावेगा।
5. प्रकरण से संबंधित किसी भी दस्तावेज में कूट रचना या अप्रमाणक होने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः शून्य हो जावेगी।
6. स्थल पर प्रस्तावित आंतरिक विकास कार्य के अतिरिक्त अन्य विकास कार्य किये जाने की स्थिति में इसकी सूचना निकाय को कार्य प्रारम्भ के पूर्व दिया जावेगा।




आयुक्त
नगर पालिक निगम,
अम्बिकापुर



Chhattisgarh Real Estate Regulatory Authority

RAIPUR

FORM-C

See Rule 6(1)

REGISTRATION CERTIFICATE OF PROJECT

This registration is granted under section 5 of the Promoter (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016) to the following project under project registration number PCGRERA131120001161 :

VASUNDHARA LAKE VIEW RESIDENCY (GROUP HOUSING)

VILLAGE-BABUPARA ,TEHSIL- AMBIKAPUR ,DIST-SARGUJA

1. VASUNDHARA BUILDERS having its registered office/principal place of business at VILLAGE - NAMNAKALA, AMBIKAPUR, SURGUJA (C.G.)

2. This registration is granted subject to the following conditions namely:-

(i) The Promoter shall enter into an agreement for sale with the Allottees as Provided in Annexure "A".

(ii) The Promoter shall execute and register a conveyance deed in favour of the Allottee or the association of the Allottees , as the case may be, of the apartment or the common areas as per section 17.

(iii) The Promoter shall deposit seventy percent of the amounts realized by the Promoter in a separate account to be maintained in a scheduled bank to cover the cost of construction and the land cost to be used only for that purpose as per sub clause(D) of the clause (1) of sub section(2) of section 4;

(iv) The registration is valid for a period of 4 years 10 month 13 day commencing from 13-Nov-2020 and ending with 30-Sep-2025 unless renewed by the Real Estate Regulatory Authority in accordance with Section 6 read with rule 7.

(v) The Promoter shall comply with provisions of the Act and the rules and regulations made thereunder;

(vi) The Promoter shall not contravene the provisions of any other law for the time being in force in the area where the project is being developed.

3. If the above mentioned conditions are not fulfilled by the Promoter, The Real Estate Regulatory Authority may take necessary action against the Promoter including revoking the registration granted herein, as per the Act and the rules and regulations made thereunder.

Dated:- 13-Nov-2020,

Place- Raipur.

(Dr. Anurag Wiswa)
Registrar
RERA, Chhattisgarh

